(५१)

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०-15/2021- 99 /वि०स० । 31/1/2022

प्रिय .....2.....

सप्तदश बिहार विधान सभा का चतुर्थ सत्र कार्यक्रमानुसार दिनांक 29 नवम्बर, 2021 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को सभा की बैठक के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । चतुर्थ सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र के शुभारंभ के अवसर पर माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्त्तमान सत्र के दौरान कुल पाँच बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए एक दिन निर्धारित है । लोकतंत्र की इस पावन धरती पर संवैधानिक शासन स्थापित करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के तीन वर्षों के अंदर ही यहां संविधान का निर्माण कर लिया गया । सर्वोच्चता तो संविधान को ही मिली परन्तु आम आदमी के मौलिक अधिकारों को सबसे प्रमुख स्थान मिला । कालक्रम में यह महसूस किया गया कि इस देश में मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कर्त्तव्यों की उतनी ही महत्ता है । अब जैसे-जैसे इस देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, वैसे-वैसे ही यहां लोगों में मौलिक कर्त्तव्यों के साथ-साथ समाज में नैतिक कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है । इस कार्य में हम सब जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ।

यह सुखद संयोग ही है कि देश एक ओर अपनी आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष में आजादी का अमृत महोत्सव माना रहा है तो दूसरी ओर हम इस बिहार विधान सभा के इस ऐतिहासिक भवन का शताब्दी वर्ष समारोह भी मना रहे हैं । शताब्दी वर्ष समारोह में 21 अक्टूबर, 2021 को माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी ने आकर और अपने सम्भाषण से बिहार विधायिका को जो मार्गदर्शन किया है, वह आने वाले कई वर्षों तक हमारे लिए नजीर बना रहेगा । उनके कर-कमलों द्वारा विधान सभा परिसर में बोधगया से लाये गये पवित्र बोधिवृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया गया है, जिससे यह परिसर सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा से भरपूर रहेगा । उनके द्वारा शताब्दी समृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया है जो हमारी राजनीतिक विरासत से नई पीढ़ी को हमेशा अवगत करायेगी ।

माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शुभारम्भ किये गये नैतिक एवं समाजिक संकल्प अभियान से संबंधित विषय का उल्लेख शिमला में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह तथा इसके 82वें सम्मेलन के दौरान मेरे भाषण में किया गया, जिसकी सराहना सभी पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा की गयी और इसके लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने पर भी संकल्प लिया गया ।

हम पूरे सदन की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं साथ ही इस समारोह के सफल आयोजन के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सहित बिहार सरकार एवं बिहार के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं । सौ वर्षों के इस ऐतिहासिक सफर में बिहार विधान सभा ने जनसमस्याओं के निवारण और जन-जीवन को सुखी बनाने के लिए अद्भूत प्रयास किये हैं । उस प्रयास की कड़ी को पूरी सजगता, संवेदनशीलता और निष्ठा से हमें आगे बढ़ाना है ।

यह सत्र छोटा होते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें आप सबों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है क्योंकि प्रदेश की समस्याओं के निवारण के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी है और यह विमर्श आपकी

अधिकाधिक संख्या में सदन की मार्यादा और परंपरा के अनुकूल उपस्थिति से ही सफल हो पायेगा । यह सदन बिहार की करोड़ों जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है और जनता ने बड़ी सजगता से भरोसा कर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को बिहार के हित में सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है । उनकी पैनी निगाहें हमारी निगाहबानी कर रही हैं । हमें उनकी आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए अपने दयित्वों को पूरी सकारात्मकता से निभाना है । मुझे विश्वास है कि सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा ।

अनुमत विधेयक

दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित आठ (08) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया :-

महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक

(1) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021
(2) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021
(3) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021
(4) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021
(5) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
(6) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
(7) बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021
(8) बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

वित्तीय कार्य

दिनांक 29 नवम्बर, 2021 को वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया तथा दिनांक 02 दिसम्बर, 2021 को द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित शिक्षा विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के पश्चात सभा द्वारा स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा "वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
2. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदनों यथा "वित्त लेखे (खंड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो" ।
3. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243-I के अनुसरण में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, खण्ड- I एवं II की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-54(2) के तहत् बिहार लोकायुक्त का वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
5. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-70(2) के तहत् बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
6. विधि विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा-18(6) के तहत् बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का वार्षिक लेखा की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
7. सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए)(2) के तहत् बिहार राज्य भंडार निगम के वित्तीय वर्ष 2011-2012 का 55वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
8. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-95(3) के तहत् बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
9. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-99 के तहत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-161, दिनांक-04.11.2021 की प्रति का सभा मेज पर रखी गयी ।
10. वाणिज्य-कर विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत् अधिसूचना संख्या- एस०ओ०-126, दिनांक-03.08.2021; एस०ओ०-128, दिनांक-17.08.2021; एस०ओ०-129, 130, 131, 132, दिनांक-14.09.2021; एस०ओ०-133, 134, 135, दिनांक-27.09.2021; एस०ओ०-136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, दिनांक-30.09.2021; एस०ओ०-155, 156, 157, दिनांक-18.10.2021 एवं एस०ओ०-158, दिनांक- 27.10.2021 की एक-एक प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
11. ऊर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए)(2) के तहत् बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।
12. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-22(2) के तहत् बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020 की प्रति सभा मेज पर रखी गयी ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया ।

1. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
2. बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
3. बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021
4. बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021

याचिका

इस सत्र में कुल 48 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 46 स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 129 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 127 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 02 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 890 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, इन 890 प्रश्नों में कुल 31 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 31 के उत्तर प्राप्त हुए, 649 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 633 के उत्तर प्राप्त हुए । साथ ही 107 प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 20 के उत्तर प्राप्त हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 101 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 90 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 03 ध्यानाकर्षण सूचनायें अमान्य हुए ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 94 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 91 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 03 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं में से 77 सूचनाएँ सदन में वापस लिये गये, 02 सूचना सदन द्वारा स्वीकृत हुये, 05 सूचनाएँ सदन द्वारा अस्वीकृत हुए तथा 07 सूचनाएँ अपृष्ठ हुये ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

1. स्वर्गीय मुसाफिर पासवान, स०वि०स०
2. स्वर्गीय सदानन्द सिंह, पूर्व अध्यक्ष, बिहार विधान सभा
3. स्वर्गीय मिथलेश कुमार सिंह, पूर्व स०वि०स०
4. स्वर्गीय जनार्दन शर्मा, पूर्व स०वि०स०
5. स्वर्गीय बलराम सिंह यादव, पूर्व स०वि०प०
6. स्वर्गीय डॉ० खालिद रशीद सबा, पूर्व स०वि०प०
7. स्वर्गीय हिन्द केशरी यादव, पूर्व मंत्री एवं पूर्व स०वि०स०
8. स्वर्गीय गौरी शंकर नागदंश, पूर्व स०वि०स०
9. स्वर्गीय रामजी प्रसाद शर्मा, पूर्व स०वि०प०

दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी, जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी,

18-1-22

(शैलेन्द्र सिंह)
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

.....
.....
.....